

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

::कार्य विभाजन आदेश::

क्रमांक: 89/एक-2-2/85

दिनांक: 22.12.2020

पूर्व में प्रभावशील कार्य विभाजन आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.) इस आदेश के द्वारा सिविल जिला दतिया तथा सत्र खण्ड दतिया के स्थानीय क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सिविल तथा सत्र न्यायालयों के मध्य सिविल न्यायालयों द्वारा संज्ञेय सिविल कार्य तथा सत्र न्यायालयों के कार्य के संबंध में निम्नानुसार कार्य वितरण आदेश जारी करती हूँ। यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावशील होगा।

खण्ड - अ

“सिविल न्यायालय कार्य विभाजन”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
1-	जिला न्यायाधीश, दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक रुपये) से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।2. भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।3. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आवेदन पत्र।4. इसी न्यायालय के निर्णय/आदेशों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 दतिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 भाण्डेर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं जयपत्र के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपीलें।6. अन्य अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रकरण एवं आवेदन पत्र, जो इस आदेश में उल्लेखित नहीं हो तथा पूर्णतः इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार योग्य हो।7. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकरण में पारित निर्णय एवं आदेश जो अंतर्वर्ती नहीं है, के विरुद्ध अपीलें।
2-	प्रथम अपर जिला न्यायालय, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज), दतिया	जिला मुख्यालय पर सिविल प्रकरणों की पर्याप्त संख्या न होने, उक्त न्यायालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रकरण होने तथा उक्त न्यायालय में विशेष अधिनियम- एन0डी0पी0एस0एक्ट के प्रकरण विचाराधीन होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में उक्त न्यायालय को सिविल कार्य आर्बिट्रि नही किया गया है।

2021/12/11-

3-	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, दतिया	जिला मुख्यालय पर सिविल प्रकरणों की पर्याप्त संख्या न होने, उक्त न्यायालय में सिविल प्रकरणों निवारण अधिनियम के आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रकरण होने तथा उक्त न्यायालय में विशेष अधिनियम- के प्रकरण विचाराधीन होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में उक्त न्यायालय को सिविल कार्य आर्बिट्र नही किया गया है।
4-	द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 3,00,00,001/- (तीन करोड़ एक रुपये) से 7,00,00,000/- (सात करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. सिविल जिला दतिया की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के दावे/विविध सिविल प्रकरण अथवा अन्य कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण। 3. द्वितीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग-2 दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 4. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 5. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
5-	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 7,00,00,001/- (सात करोड़ एक रुपये) से 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त तृतीय/षष्ठम् एवं सप्तम् न्या0 एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ /पंचम अतिरिक्त (प्रशिक्षु न्यायाधीश), दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
6-	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश दतिया के न्या0 के द्वितीय अति0 न्या0 दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रुपये) से 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 3. पागलपन अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 4. मध्यप्रदेश लोकल फंड अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र। 5. भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत दावे। 6. आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दावे। 7. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-9 के अन्तर्गत प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दावे। 8. मेण्टल हेल्थ अधिनियम 1907 के अन्तर्गत प्रकरण। 9. 501/- (रुपये पांच सौ एक) से 1,000/- (रुपये एक हजार) तक मूल्य के तहसील दतिया तथा तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

		<p>10. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 भाण्डेर, तत्का. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 दतिया के न्यायालय के अति० न्यायाधीश, तत्कालीन द्वितीय व्य० न्या० वर्ग-1 दतिया तथा प्रथम/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।</p> <p>11. इसी न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के प्रथम अति० न्या० (विशेष न्या० एट्टे०) दतिया, पूर्व में कार्यरत् रहे प्रथम अपर जिला न्या० दतिया के न्या० के तृतीय अति० न्यायाधीश एवं पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत् रहे समस्त फास्ट ट्रेक न्यायाधीशगण के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>12. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>
7-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दतिया	<p>1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रु.) से 1,00,00,000/- (एक करोड रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।</p> <p>2. नगर पालिका दतिया क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत धारा 139 तथा धारा 172 के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p>3. इसी न्यायालय तथा पूर्व में पदस्थ रहकर कार्यरत् रहे द्वितीय व्य० न्यायाधीश वर्ग-1, प्रथम व्य० न्या० वर्ग-1 दतिया के न्यायालय के अति० न्या० दतिया द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>4. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अंतर्गत प्रकरण।</p> <p>5. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतर्गत प्रकरण।</p>
8-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, दतिया	(रिक्त न्यायालय)
9-	ग्राम न्यायाधिकारी, जनपद दतिया	जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण तथा ग्राम न्या. अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तहसील दतिया की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण।
10-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया	<p>1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 01/- (एक रुपये) से 1,00,000/- (एक लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 201/- (रुपये दौ सौ एक) से 300/- (रुपये तीन सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>3. इसी न्यायालय एवं वर्तमान में कार्यरत् प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के षष्ठम्/सप्तम् अति० न्यायाधीश, (ट्रिनी जज) दतिया के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत इजराय प्रकरण, विविध प्रकरण अपील आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>
11-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया	1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 3,00,001/- (तीन लाख एक रुपये) से 4,00,000/- (चार लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद, निष्पादन, विविध प्रकरण।

		<ol style="list-style-type: none"> 2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 301/- (रु. तीन सौ एक) से 400/- (रु.चार सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
12-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 2,00,001/- (दो लाख एक रुपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 01/- (रुपये एक) से 100/- (रुपये एक सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपील आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
13-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1,00,001/- (एक लाख एक रुपये) से 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 101/- (रुपये एक सौ एक) से 200/- (रुपये दो सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
14-	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 4,00,001/- (चार लाख एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 401/- (रुपये चार सौ एक) से 500/- (रुपये पांच सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत रहे प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रिनी जज) दतिया द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
15-	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 2. इस न्यायालय के समस्त इजराय व विविध प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
16-	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण। 2. इस न्यायालय के समस्त इजराय व विविध प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

17-	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सेंवडा	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक रूपये) से 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।2. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 सहित पारिवारिक विवादों से संबंधित दावे।3. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दावे।4. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न आर्बिट्रेशन अधि.1996 के अन्तर्गत दावे एवं निष्पादन प्रकरण।5. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न संरक्षण एवं प्रीपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत दावे।6. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि.1925 के भाग-9 के अन्तर्गत प्रोबेट एवं लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दावे।7. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न मेण्टल हेल्थ अधिनियम 1987 के अन्तर्गत प्रकरण।8. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न 501/- (रूपये पांच सौ एक) से 750/- (रूपये सात सौ पचास) तक मूल्य के उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण।9. प्रथम/द्वितीय सिविल जज वर्ग-2, सेंवडा एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम सिविल जज वर्ग-2 सेंवडा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेंवडा द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।10. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत अपर जिला न्यायाधीश सेंवडा जिला दतिया द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।11. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
18-	द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सेंवडा	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक रूपये) अधिक मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।2. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न भू-अर्जन अधि. के अन्तर्गत दावे।3. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न पागलपन अधिनियम के अन्तर्गत दावे।4. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न मध्यप्रदेश लोकल फण्ड अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।5. तहसील सेंवडा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत दावे।

		<ol style="list-style-type: none"> 6. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न 751/- (रुपये सात सौ इक्यावन) से 1,000/- (रुपये एक हजार) तक मूल्य के उत्पन्न लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 7. सिविल जज वर्ग-1, सेंवढा, पूर्व में कार्यरत् रहे सिविल जज वर्ग-1, सेंवढा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील। 8. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / डिक्री / आदेश से संबंधित निष्पादन विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 9. ग्राम न्यायालय अधिनियम- 2008 से उत्पन्न धारा 33 के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र सेंवढा के अंतर्गत उत्पन्न दांडिक अपीलें तथा धारा 34 के अन्तर्गत उत्पन्न सिविल अपील प्रकरण। 10. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
19-	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सेंवढा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,001/- (पांच लाख एक रु.) से 1,00,00,000/- (एक करोड रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. नगर पालिका सेंवढा एवं इन्दरगढ़ क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका अधिनियम 1961 उत्पन्न धारा 139 तथा धारा 172 की अपीलें। 3. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 401/- (रुपये चार सौ एक) से 500/- (रुपये पांच सौ) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन /विविध प्रकरण। 4. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अन्तर्गत प्रकरण। 5. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत् रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सेंवढा के न्यायालय के अति० न्या० सेंवढा द्वारा पारित निर्णय/ डिक्री / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
20-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सेंवढा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (एक रुपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (रुपये एक) से 200/- (रुपये दौ सौ) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन /विविध प्रकरण। 3. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।
21-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सेंवढा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 3,00,001/- (तीन लाख एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन ,विविध प्रकरण। 2. तहसील सेंवढा क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 201/- (रुपये दौ सौ एक) से 400/- (रुपये चार सौ) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन /विविध प्रकरण।

		<p>3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेवका के न्यायालय के अतिरिक्त न्याय सेवका एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सेवका के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>
22-	ग्राम न्यायाधिकारी, तहसील सेवका	जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण तथा ग्राम न्या. अधिनियम 2008 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण।
23-	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भाण्डेर	(रिक्त न्यायालय)
24-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भाण्डेर	<p>1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 5,00,000/- (पांच लाख एक रु.) से 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।</p> <p>2. नगर पालिका भाण्डेर क्षेत्र से संबंधित नगर पालिका अधिनियम 1961 उत्पन्न धारा 139 तथा धारा 172 की अपीलें।</p> <p>3. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 401/- (रुपये चार सौ एक) से 500/- (रुपये पांच सौ) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन /विविध प्रकरण।</p> <p>4. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>5. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/ डिक्री / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>
25-	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भाण्डेर	<p>1. तहसील भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (एक रुपये) से 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।</p> <p>2. तहसील सेवका क्षेत्र से उत्पन्न रुपये 1/- (रुपये एक) से 400/- (रुपये चार सौ) रुपये मूल्य तक के लघुवाद/निष्पादन /विविध प्रकरण।</p> <p>3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में पदस्थ रहे समस्त न्यायाधीश वर्ग-2 भाण्डेर के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री / आदेश संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>

अण्ड - ब

“मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण”

1-	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<p>1. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न धारा 166, 163 (ए) मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण।</p> <p>2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं</p>
----	----------------------------------	--

Comdr/118/1 -

		निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
2-	प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम, दतिया	जिला मुख्यालय पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरणों की पर्याप्त संख्या न होने के परिणामतः कार्य आबंटित नहीं किया गया है।
3-	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	जिला मुख्यालय पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरणों की पर्याप्त संख्या न होने के परिणामतः कार्य आबंटित नहीं किया गया है।
4-	द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण। 2. इसी अधिकरण, प्रथम अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के प्रथम अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया(विशेष न्यायाधीश एडव० दतिया) एवं वर्तमान में रिक्त- पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत् रहे समस्त फास्ट ट्रैक न्यायाधीशगण द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रकरणों में उनके द्वारा तत्समय पारित अवाई एवं आदेशों संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
5-	तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
6-	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्या० के द्वितीय अति० मोटर दुर्घटना दावा अधि० दतिया	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण। 2. इसी अधिकरण एवं वर्तमान में रिक्त- पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित /नामांकित होकर कार्यरत् रहे समस्त अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया (पूर्व में पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत् रहे समस्त फास्ट ट्रैक न्यायाधीशगण के न्यायालयों को छोड़कर) तथा प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया द्वारा तत्समय पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
7-	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सेंवदा	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण। 2. इसी अधिकरण एवं पूर्व में कार्यरत् अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंवदा द्वारा पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।
8-	द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सेंवदा	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील सेंवदा क्षेत्र से उत्पन्न धारा 166, 163 (ए) मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण। 2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवाई एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

खण्ड - स

“सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन”

<p>1- सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायालय</p> <p>1. सती (निषेध) अधिनियम 1987</p> <p>2. मानव अधिकार (संरक्षण) अधिनियम-1993</p>	<p>1. सत्र खण्ड दतिया से उत्पन्न सत्र प्रकरण, सत्र न्यायालयों में सुनवाई योग्य दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण जमानत आवेदन पत्र।</p> <p><u>अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण</u></p> <p>2. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत गठित ग्राम न्यायालय के द्वारा आपराधिक प्रकरणों में दिए गए आदेश एवं निर्णयों के विरुद्ध अपील धारा 33 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से तथा धारा 34 ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक अपील ।</p> <p>3. सत्र न्यायालय द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत विचारण योग्य ऐसे अन्य प्रकरण जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं किया गया है।</p> <p>4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 101 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड दतिया से उत्पन्न दांडिक अपील प्रकरण।</p> <p>5. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p>
<p>2- विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया</p>	<p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय/सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण।</p> <p>2. समस्त राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 से संबंधित सत्र न्यायालयों द्वारा विचारण योग्य सभी प्रकार के प्रकरण।</p> <p>3. तहसील दतिया एवं भाण्डेर क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण।</p> <p>4. वर्तमान में रिक्त तथा पूर्व में फास्ट ट्रेक न्यायाधीश के पद पर पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त न्यायाधीशगण के न्यायालयों के द्वारा निराकृत प्रकरणों का</p>

		<p>प्रवर्तन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं उक्त न्यायालय के निर्णय की अपीलें, रिट्टीजन (माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय) के आदेशों का प्रवर्तन भी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य सम्पादित किया जावेगा।</p> <p>5. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।</p>
<p>3-</p>	<p>प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया सह विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)</p>	<p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत।</p> <p>3. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण</p> <p>4. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतर्गत प्रकरण।</p>
<p>4-</p>	<p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)</p>	<p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. तहसील क्षेत्र दतिया एवं भाण्डेर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण ।</p> <p>3. तहसील क्षेत्र दतिया एवं भाण्डेर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध जैसे कि-बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सह बलात्कार एवं अन्य संबंधित अन्य समस्त प्रकरण ।</p> <p>4. अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 से संबंधित सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।</p> <p>5. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा</p>

4		अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।
5-	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया सह विशेष न्यायाधीश (डकैती अधिनियम)	<p>6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p> <p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. मध्यप्रदेश डकैती और व्यहपरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत समस्त प्रकरण।</p> <p>3. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
6-	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)	<p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. विद्युत अधिनियम से संबंधित सिविल जिला दतिया का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 28- सेंवड़ा के विद्युत क्षेत्र के विशेष न्या0 की अधिकारिता को छोड़कर)सभी प्रकार के प्रकरण।</p> <p>3. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।</p> <p>4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।</p>
7-	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा	<p>1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित प्रकरण।</p> <p>2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत उद्भूत सभी प्रकार के प्रकरण।</p> <p>3. तहसील सेंवड़ा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरण।</p> <p>4. तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत पॉक्सो अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p>

5. तहसील क्षेत्र सेंवड़ा के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या सह बलात्कार एवं अन्य संबंधित अन्य समस्त प्रकरण ।
6. इस न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत् रहे अपर सत्र न्यायाधीशगण सेंवड़ा द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।
7. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।

नोट: सेंवड़ा से दतिया की दूरी लगभग 65 कि.मी. है, अतः पक्षकारों तथा अभिभाषकों की सुविधा की दृष्टि से :-

1. सेंवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य आदेश दिनांक से **नवीन समस्त जमानत आवेदन पत्र**- इस न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।
2. सेंवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438 अथवा 439 द0प्र0स0 का एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण(उपार्पण के पूर्व) में जिन अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया पश्चात्वर्ती क्रम में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उन्हीं अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।
3. सेंवड़ा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उपार्पण प्रकरण पंजीकरण के लिए सत्र न्यायालय दतिया भेजे जावेंगे परन्तु प्रकरणों के अभियुक्तों को, न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी दी जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों का मुद्देमाल भी मालखाना सेंवड़ा में रहते हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत होगा।


- 8- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेंवड़ा सह विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम)
1. अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण।
 2. अनुक्रमांक-28-तहसील सेंवड़ा के विद्युत क्षेत्र में उद्भूत विद्युत अधि० से संबंधित सभी प्रकार के प्रकरण।
 3. इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (उपवर्णित/अधिसूचित/नामांकित अधिनियम के प्रकरणों सहित) से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण।
 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित प्रकरण।

नोट: सेंवड़ा से दतिया की दूरी लगभग 65 कि.मी. है, अतः पक्षकारों तथा अभिभाषकों की सुविधा की दृष्टि से :-

1. सेंवड़ा में कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उपार्पण प्रकरण पंजीकरण के लिए सत्र न्यायालय दतिया भेजे जावेंगे परन्तु प्रकरणों के अभियुक्तों को, न्यायालय में उपस्थित होने हेतु तारीख पेशी दी जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों का मुद्देमाल भी मालखाना सेंवड़ा में रहते हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत होगा।
2. सेंवड़ा तहसील क्षेत्र के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई योग्य किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438 अथवा 439 द०प्र०स० का एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण(उपार्पण के पूर्व) में जिन अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया पश्चात्वर्ती क्रम में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उन्हीं अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत, पंजीबद्ध तथा निराकृत होंगे।

- नोट: 1.** एक ही अपराध क्रमांक/प्रकरण(उपार्पण के पूर्व) में उसी अभियुक्त अथवा अन्य सह अभियुक्त का पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन पत्र, पूर्ववर्ती आवेदन पत्र का निराकरण करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जावेगा।
- 2.** किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानान्तरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले पीठासीन अधिकारी के संबंध में भी यह कार्य वितरण पत्रक यथावत लागू होगा।

स्थान: दतिया।


(श्रीमती सुनीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म०प्र०)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15, 19 तथा 21(4) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके मैं श्रीमती सुनीता यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया इस आदेश के द्वारा सिविल जिला दतिया तथा सत्र खण्ड दतिया के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सिविल तथा सत्र न्यायालयों के मध्य दीर्घ अवकाश के दौरान **अत्यावश्यक सिविल मामलों के निपटारे के लिए अथवा अत्यावश्यक सत्र कार्य के निपटारे के लिए** निम्नानुसार आदेश जारी करती हूँ जो दिनांक **01 जनवरी, 2021** से प्रभावशील होगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश तथा जिले में पदस्थ समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं दो के **अवकाश पर होने अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने की अवस्था में** उनके न्यायालय का अत्यावश्यक सिविल तथा दण्डिक कार्य निम्नांकित तालिका के लिए गए कम के अनुसार प्रभारी न्यायाधीश द्वारा सम्पन्न किया जावेगा जो नीचे अंकित शर्तों के अधीन होगा।

कं.	न्यायाधीश का पदनाम	न्यायालय	न्यायालय
1-	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश(एट्रो), दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
2-	विशेष न्यायाधीश एट्रो सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या० दतिया के न्या० के प्रथम अति० न्या०, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या० दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या०, दतिया
3-	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	विशेष न्यायाधीश(एट्रो), दतिया	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
4-	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या० दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या०, दतिया
5-	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या० दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या०, दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
6-	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्या० दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या०, दतिया	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
7-	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंवडा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंवडा दतिया	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
8-	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंवडा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंवडा दतिया	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया
9-	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-1, दतिया	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-1, भाण्डेर	व्यवहार न्या.वर्ग-1, सेंवडा
10-	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-1, भाण्डेर	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-1, दतिया	व्य. न्या., वर्ग-1, सेंवडा
11-	व्यवहार न्या.वर्ग-1, सेंवडा	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-1, दतिया	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-1, भाण्डेर
12-	ग्राम न्यायाधिकारी, दतिया	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-1, दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

			दतिया
13-	ग्राम न्यायाधिकारी, सेंवडा दतिया	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-1, दतिया	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया
14-	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया
15-	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया
16-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के तृतीय. अति. न्या., दतिया
17-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के तृतीय. अति. न्या., दतिया
18-	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के तृतीय. अति. न्या., दतिया	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया
19-	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, सेंवडा	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-2, सेंवडा	व्यवहार न्या.वर्ग-1, सेंवडा
20-	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-2, सेंवडा	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, सेंवडा	व्यवहार न्या.वर्ग-1, सेंवडा
21-	व्य. न्या., वर्ग-2, भाण्डेर	द्वितीय व्य. न्या., वर्ग-1, भाण्डेर	प्रथम व्य. न्या., वर्ग-2, दतिया
22-	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के षष्ठम् अति. न्या.(प्रशिक्षु न्या.), दतिया	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के सप्तम् अति न्यायायाधीश (प्रशिक्षु न्यायायाधीश), दतिया	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के तृतीय. अति. न्या., दतिया
23-	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के सप्तम् अति न्यायायाधीश (प्रशिक्षु न्यायायाधीश), दतिया	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के षष्ठम् अति. न्या.(प्रशिक्षु न्या.), दतिया	प्र. व्य. न्या. वर्ग-2 के न्या. के तृतीय. अति. न्या., दतिया

- नोट:**
- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिन न्यायाधीशगण को विशेष अधिनियम(महिलाओं से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों, म0प्र0 विधुत अधिनियम, एन.डी.पी.एस.एक्ट, पॉक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं म0प्र0 डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आदि के अंतर्गत उद्भूत) से संबंधित पदाभिहीत किया गया है, उक्त विशेष अधिनियमों से संबंधित समस्त प्रकृति के अग्रिम/नियमित जमानत आवेदन पत्र संबंधित न्यायालय में ही प्रस्तुत होंगे एवं पंजीयन के उपरांत उसी न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे।
 - मुख्यालय दतिया पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 न्या0के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ प्रथम सिविल जज वर्ग-एक, दतिया द्वारा सम्पन्न की जायेगी।
 - मुख्यालय दतिया पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 न्या0के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ प्रथम सिविल जज वर्ग-दो, दतिया द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

-1/16/1-

4. मुख्यालय सेंवद्धा पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अथवा 2 न्या0के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सेंवद्धा द्वारा सम्पन्न की जायेगी।
5. मुख्यालय भाण्डेर पर पूर्व में पदस्थ रहे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अथवा 2 न्या0के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त हुये न्यायालय (जिनका उल्लेख उक्त कार्य विभाजन पत्रक में न हो) द्वारा निराकृत वाद/प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ, निष्पादन कार्यवाहियाँ, अनुपालन कार्यवाहियाँ, प्रतिप्रेषित प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ, जमा राशि के भुगतान से संबंधित कार्यवाहियाँ तथा अन्य विविध कार्यवाहियाँ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, भाण्डेर द्वारा सम्पन्न की जायेगी।
यह आदेश दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील होगा।

Sunil D. D.
(श्रीमती सुनीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

जमानत आवेदन पत्रों के निराकरण से संबंधित अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं श्रीमती सुनीता यादव, सत्र न्यायाधीश, दतिया इस आदेश के द्वारा सत्र खण्ड दतिया/सेवदा के क्षेत्र में सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने, मुख्यालय से बाहर होने अथवा ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारणवश कर्तव्य पर उपस्थित न हो पाने की दशा में -कार्यरत विभिन्न सत्र न्यायालयों के मध्य जमानत आवेदन पत्रों के कार्य के निपटारे के लिए निम्नानुसार आदेश जारी करती हूं जो दिनांक 01 जनवरी, 2021 से मात्र जमानत आवेदन पत्रों के संबंध में उपवर्णित दशा में प्रभावशील होगा-

1. किसी अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 अथवा 439 द.प्र.सं. किन्हीं विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो तो ऐसी दशा में पश्चात्वर्ती क्रम में उस अभियुक्त अथवा सह अभियुक्त का जमानत आवेदन उन्हीं विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, दतिया के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

नोट:- इस अवस्था पर स्पष्ट किया जाता है कि किसी जानकारी के अभाव में अथवा लिपिकीय त्रुटिवश उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की उत्पन्न दशा में संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ऐसे आवेदन पत्र, सत्र न्यायालय को वापिस करेंगे तथा ऐसे आवेदन पत्र पूर्ववर्ती आवेदन को निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

2. यदि पूर्ववर्ती आवेदन विभिन्न अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध क्रमांक विशेष में, सह अभियुक्त के जमानत आवेदन, पूर्व में निराकृत किए गए हों तो ऐसी दशा में अन्य सह अभियुक्त का जमानत आवेदन, उन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा, जिन्होंने कि सबसे अंत का (नवीनतम) जमानत आवेदन संबंधित अपराध क्रमांक के सह अभियुक्त का निराकृत किया हो अथवा किसी पदस्थापना पर उनकी पदस्थापना अन्य विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में होने पर भी उनके द्वारा ही जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।

3. केस डायरी/अभिलेख प्राप्ति पर ही संबंधित जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

4. उक्त के अलावा परिवाद पर संस्थित प्रकरणों से उत्पन्न जमानत आवेदन पत्र अवकाश पर गए विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश को छोड़कर उनके पंजीयन के क्रम में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया से लगायत अंतिम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय को क्रमानुसार एक-एक जमानत आवेदन स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।

5. कण्डिका क्रमांक 01 अनुसार भेजे गये प्रतिभूति आवेदन पत्रों के बाद शेष बचे हुए प्रथम प्रतिभूति आवेदन पत्र निम्नानुसार आरक्षी केन्द्र के समक्ष अंकित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश को विधिवत् निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। यदि भेजे जाने वाले संबंधित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश अवकाश पर हैं तो उनके प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश एवं यदि प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश पर हैं तो द्वितीय एवं यदि द्वितीय प्रभार वाले न्यायाधीश अवकाश पर हैं तो तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश के न्यायालय में निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे एवं यदि तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश पर हों तो तत्पश्चात् अंतिम प्रभारी के पद क्रम के उत्तरवर्ती क्रमांक के अपर सत्र न्यायाधीश दतिया को निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे तथा यह प्रभार क्रमानुसार कमागत होकर पुनः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया से प्रभावी रहेगा।

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायाधीश का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	कोतवाली दतिया सिविल लाईन आबकारी वृत्त दतिया एवं भाण्डेर	विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या० दतिया	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
2	बड़ौनी, चिरुला, भाण्डेर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या० दतिया	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
3	गोराघाट, दुरसड़ा, पण्डोखर	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या० दतिया	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. दतिया
4	उनाव, बसई, गोंदन	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया
5	जिगना, सिनावल, सरसई	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या० दतिया

नोट:- उपरोक्त तालिका में वर्णित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश का इस स्थापना से अन्य स्थापना पर स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर पदस्थ होने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा।

6. पूर्व में प्रतिभूति आवेदन पत्र निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश इस स्थापना से स्थानांतरित होकर गए हों तो उनके स्थान पर आने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा एवं यदि उक्त न्यायालय रिक्त है तो ऐसी स्थिति में कण्डिका क्रमांक 5 के अनुसार प्रतिभूति आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा।

7. सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र जो कि माननीय उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित विशेष न्यायालय से संबंधित हों वे स्वतः संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित होना माने जावेंगे। यदि उक्त न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अवकाश पर रहते हैं तो उस स्थिति में आवेदन पत्र न्यायाधीश के चार्ज में रहने वाले वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा सुने जावेंगे।

8. यदि कोई जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और वह आवेदन पत्र अपर सत्र न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में निराकृत हेतु भेज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वह अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश उक्त जमानत आवेदन पत्र को संबंधित विशेष न्यायालय में भेजे जाने हेतु सत्र न्यायालय को वापस भेजेंगे एवं संबंधित विशेष न्यायालय को उक्त जमानत आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।


- 11/19/11 -

9. जमानत आवेदन पत्र अंतरित होने के पश्चात् यदि जमानत आवेदन पर भेजे गए संबंधित न्यायालय से इस टीप के साथ आवेदन पत्र वापस प्राप्त होता है कि संबंधित प्रकरण अन्य अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में लंबित है तो उक्त जमानत आवेदन पत्र जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण लंबित है उस न्यायालय में स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।

10. उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति वाले जमानत आवेदन पत्र विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) दतिया द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रभार वाले न्यायाधीश को विधिवत् निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

11. उक्त कार्य व्यवस्था में आकस्मिक रूप से उत्पन्न परिस्थितियों में पृथक से विधि अनुसार आदेश पारित किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील होगा।


(श्रीमती सुनीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

क्रमांक: 70/एक-2-2/85

दिनांक: 09.06.2021


म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक 1133/1307/2021/50-2, भोपाल दिनांक 27.03.2021 सह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का पृष्ठांकन क्रमांक सी/1216(जेजेबी)/तीन-6-4/72-ग्यारह जबलपुर, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा इस स्थापना पर संचालित किशोर न्याय बोर्ड की बैठक सप्ताह के सभी कार्य दिवस में किये जाने के परिणामतः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया सुश्री ऋचा गोयल द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में सप्ताह के सभी कार्य दिवसों का कार्यभार दिनांक 23.04.2021 को दोपहर पश्चात् ग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप तृतीय व्य0न्या0वर्ग-2 का न्यायालय रिक्त होने के उपरांत कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 89/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 22.12.2020 प्रभावशील दिनांक 01 जनवरी 2021 के खण्ड-अ के सरल क्रमांक-12 तथा 13 के सम्मुख पूर्व में अभिदर्शित उप कंडिकाओं को विलोपित करते हुये सरल क्रमांक 13 के सम्मुख स्तंभ में उप कंडिका क्रमांक 1 लगायत 4 को नवीनतः समाविष्ट किया जाता है, उक्तानुसार (नवीनस्थापन) पढ़ा जावे।

खण्ड - अ

“ सिविल न्यायालयों का कार्य विभाजन ”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
12-	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, दतिया	पदस्थ अधिकारी द्वारा किशोर न्याय बोर्ड दतिया में सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में कार्य हेतु प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड का पदभार ग्रहण किये जाने के परिणामतः न्यायालय रिक्त।
13-	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न रूपये 1,00,001/- (एक लाख एकरूपये) से 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) मूल्य तक के सिविल वाद एवं निष्पादन, विविध प्रकरण।2. तहसील दतिया क्षेत्र से उत्पन्न 01/- (रूपये एक) से 200/- (रूपये दौ सौ) तक के मूल्य के लघुवाद प्रकरण, निष्पादन एवं विविध प्रकरण।3. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत् रहे तृतीय व्य0न्या0वर्ग-2 दतिया द्वारा तत्समय पारित आदेश से संबंधित निष्पादन, विविध प्रकरण तथा अपीलिय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन।4. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरित प्रकरण।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।


श्रीमती सुनीता यादव
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश (द्वितीय संशोधन) ::

कमांक: 74/एक-2-2/85

दिनांक: 21.06.2021

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बैंच द्वारा आपराधिक अपील कमांक 5189/2020 प्रमोद यादव विरुद्ध म0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.04.2021 के अनुक्रम में रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के माध्यम से दी गई व्यवस्था के के आलोक में सिविल जिला दतिया के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर उद्भूत हुये प्रकरणों को विशेष न्यायालय, पॉक्सो अधिनियम दतिया के न्यायालय को विचारण का अधिकार होना अभिनिर्धारित किये जाने के परिणामतः कार्य विभाजन आदेश कमांक 1/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 02.01.2020 के खण्ड-स के सरल कमांक 4 की उप कण्डिका कमांक 7 का नवीन स्थापन अनुरूप निम्नानुसार संशोधन (नवीनस्थापन) पढ़ा जावे—

खण्ड - स

“सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन”

कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
4-	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्याय पॉक्सो अधिनियम, दतिया	7. सिविल जिला दतिया क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत संचालित समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत पॉक्सो अधिनियम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम दोनों के अंतर्गत सम्मिलित रूप से पंजीबद्ध होकर उद्भूत हुये प्रकरण।

यह आदेश आज दिनांक से तत्काल प्रभावशील माना जावे।

Sunil

श्रीमती सुनीता यादव

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

aj दतिया (म.प्र.)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश(तृतीय संशोधन) ::

क्रमांक: 80/एक-2-2/85

दिनांक: 19.07.2021

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक-516 दिनांक-01.07.21 के माध्यम से इस स्थापना पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया की पदस्थापना, आदेश क्रमांक-603 दिनांक-15.07.21 के माध्यम से इस स्थापना पर प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया की नवीन पदस्थापना एवं आदेश क्रमांक-523 दिनांक-01.07.21 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में नियमित पदस्थापना किये जाने के परिणामतः कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 89/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 22.12.2020 प्रभावशील दिनांक 01 जनवरी 2021 के खण्ड-अ के सरल क्रमांक-5,15,16 की पंक्ति के स्तंभ "न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार" में पूर्व की उल्लेखित प्रविष्टियां विलुप्त की जाकर, उसके स्थान पर "रिक्त न्यायालय" का प्रतिस्थापन एवं सरल क्रमांक-14 के सम्मुख अभिदर्शित उप कंडिका क्रमांक -3 की द्वितीय पंक्ति में -अभिलिखित शब्द "प्रथम/" शब्द का विलोपन एवं सरल क्रमांक-26,27 की पंक्तियों में न्यायालय के नाम एवं न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार की उप कंडिका क्रमांक 1 से 4, सरल क्रमांक-28 की पंक्ति में न्यायालय के नाम एवं न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार की उप कंडिका क्रमांक 1 से 2 का नवीन स्थापन, खण्ड-ब एवं खण्ड-स -की पंक्ति सरल क्रमांक -5 की पंक्ति स्तंभ "न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार" में पूर्व की उल्लेखित प्रविष्टियां विलुप्त की जाकर, उसके स्थान पर "रिक्त न्यायालय" का प्रतिस्थापन एवं सरल क्रमांक-9 एवं 10 की पंक्तियों में न्यायालय के नाम एवं न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार की उप कंडिका क्रमांक-1,2 को नवीनतः समाविष्ट किया जाता है, उक्तानुसार (नवीनस्थापन) पढ़ा जावे:-

खण्ड - अ

" सिविल न्यायालयों का कार्य विभाजन "

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
5-	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, दतिया	<u>रिक्त न्यायालय</u>
15-	प्र.व्य.न्या.वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<u>रिक्त न्यायालय</u>
16-	प्र.व्य.न्या.वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<u>रिक्त न्यायालय</u>
26-	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	1. तहसील दतिया तथा भाण्डेर क्षेत्र से उत्पन्न 7,00,00,001/- (सात करोड़ एक रुपये) से 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) मूल्य तक के सिविल वाद , निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री /आदेश से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन। 3. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण।
27-	प्रथम जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के प्रथम/तृतीय अति० न्या० एवं पूर्व में कार्यरत् रहे द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 दतिया, प्रथम व्य० न्या० वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/सप्तम् अतिरिक्त (प्रशिक्षु न्यायाधीश), न्या० दतिया के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/डिक्री/आदेश के विरुद्ध नियमित एवं विविध अपील प्रकरण।

.....निरन्तर//2//

//2//

3. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री /आदेश से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन ।
4. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण

28-	प्र.व्य.न्या.वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. इसी न्यायालय एवं पूर्व में कार्यरत रहे प्रथम व्यवहार न्यायवर्ग-2 दतिया के न्यायालय के षष्ठम्/सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया द्वारा पारित निर्णय/डिक्री /आदेश से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन ।2. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण ।
-----	---	---

खण्ड - ब

“ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का कार्य विभाजन ”

कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
5-	तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया	रिक्त न्यायालय
9-	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधि. दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण ।2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन ।
10-	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधि. दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. जिला न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण ।2. इसी अधिकरण द्वारा पारित अवार्ड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन ।

खण्ड - स

“ सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन ”

कं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
5-	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया सह विशेष न्यायाधीश (डकैती अधिनियम)	रिक्त न्यायालय
9-	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्या.दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण ।2. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण ।
10-	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	<ol style="list-style-type: none">1. सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरण ।2. इसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से संबंधित विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदनों का निराकरण ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे ।

Signature

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार आदेश ::

माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर के आदेश क्रमांक-516,523 दिनांक 01.07.21 एवं आदेश क्रमांक 603 दिनांक 15.07.2021 के माध्यम से इस स्थापना पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया की पदस्थापना, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया की नवीन पदस्थापना एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया के न्यायालय में नियमित पदस्थापना किये जाने के परिणामतः **कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 89/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 22.12.2020** प्रभावशील दिनांक 01 जनवरी 2021 के संलग्नक अत्यावश्यक कार्य तथा प्रभार की तालिका में **सरल क्रमांक 5,22 एवं 23 को विलोपित करते हुये सरल क्रमांक 5,22,23 का पुनर्स्थापन निम्नानुसार** किया जाता है, अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे-

क्रं.	न्यायाधीश का पदनाम	प्रथम प्रभार न्यायालय	द्वितीय प्रभार न्यायालय	तृतीय प्रभार न्यायालय
5-	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	प्रथम अपर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया(म०प्र०)	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया(म०प्र०)
22	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया(म०प्र०)
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया(म०प्र०)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जिला-दतिया(म०प्र०)	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जिला-दतिया(म०प्र०)

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील माना जावे।

Signature

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: जमानत आवेदन पत्रों के निराकरण से संबंधित अत्यावश्यक कार्य का प्रभार आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सत्र न्यायाधीश, दतिया इस आदेश के द्वारा सत्र खण्ड दतिया के क्षेत्र में सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने, मुख्यालय से बाहर होने अथवा ग्रीष्म व शीतकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारणवश कर्तव्य पर उपस्थित न हो पाने की दशा में - कार्यरत विभिन्न सत्र न्यायालयों के मध्य जमानत आवेदन पत्रों के कार्य के निपटारे के लिए निम्नानुसार पूर्ववत् तालिका में उल्लेखित पंक्ति सरल क्रमांक-4 के सम्मुख उल्लेखित स्तंभों की समग्र प्रविष्टियां एवं सरल क्रमांक-5 के सम्मुख उल्लेखित स्तंभ में आरक्षी केन्द्र सरसई की प्रविष्टी को विलोपित करते हुये सरल क्रमांक-4 का प्रतिस्थापन एवं 6 का नवीन स्थापन अनुरूप संशोधन आदेश जारी करता हूँ -

क.	आरक्षी केन्द्र का नाम	न्यायाधीश का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
4.	गोंदन, उनाव	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के तृतीय अति० न्या० दतिया	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के द्वितीय अति० न्या० दतिया
6.	बसई, सरसई	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के चतुर्थ अति० न्या० दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्या० के तृतीय अति० न्या० दतिया	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दतिया	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया

तत्संबंधी पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकायें पूर्वानुसार यथावत् मान्य किये जाने हेतु उक्त आदेश की निरंतरता में यह आदेश जारी किया जा रहा है जोकि दिनांक 19.07.2021 से प्रभावशील होगा।


(राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म०प्र०)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश(चतुर्थ संशोधन) ::

क्रमांक: 89/एक-2-2/85

दिनांक: 07.08.2021

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-बी/4390
जबलपुर,दिनांक-03.08.21 के माध्यम से इस स्थापना पर श्री जी0सी0 शर्मा,अति0 सत्र
न्यायाधीश दतिया को सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत डकैती अधिनियम से
संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु अधिसूचित किये जाने तथा पूर्व में पदस्थ रहे तृतीय अपर जिला
एवं सत्र न्या0 दतिया का न्या0 रिक्त होने के परिणामतः कार्य विभाजन आदेश क्रमांक
89/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 22.12.2020 प्रभावशील दिनांक 01 जनवरी 2021 के
खण्ड-अ के सरल क्रमांक-26 की पंक्ति के स्तंभ क्रमांक-3 की कण्डिका क्रमांक-4,
खण्ड-ब एवं खण्ड-स -के सरल क्रमांक-9 पंक्ति के स्तंभ क्रमांक-3 की कण्डिका क्रमांक-4
को नवीनतः समाविष्ट किया जाता है, उक्तानुसार (नवीनस्थापन) पढ़ा जावे:-

खण्ड - अ

“ सिविल न्यायालयों का कार्य विभाजन ”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
26-	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दतिया	4. तत्कालीन तृतीय अपर जिला न्यायाधीश दतिया के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री /आदेश से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण तथा अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन ।

खण्ड - ब

“ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का कार्य विभाजन ”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
9-	प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधि. दतिया	3. तत्कालीन तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,दतिया के द्वारा पारित अर्वाड एवं आदेशों से संबंधित निष्पादन,विविध प्रकरण एवं अपीलीय आदेशों का पालन एवं निराकृत प्रकरणों से संबंधित समस्त प्रकृति के आवेदन ।

खण्ड - स

“ सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन ”

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
9-	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्या.दतिया	3. सम्पूर्ण राजस्व जिला दतिया के अंतर्गत उद्भूत एवं पूर्व से लंबित डकैती अधिनियम से संबंधित सभी प्रकृति के प्रकरण ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

31/8

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: आदेश ::

क्रमांक: 104/एक-2-2/85

दिनांक: 22.10.2021


मैं, श्री आर.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-409 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 01/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 22.12.2021 के खण्ड-स के सरल क्रमांक 2 की उप कण्डिका 4 का विलोपन करते हुये आदेश क्रमांक 80/एक-2-2/85 दतिया दिनांक 19.07.2021 के खण्ड-स के सरल क्रमांक 10 की उप कण्डिका 3 का नवीन स्थापन अनुरूप निम्नानुसार संशोधन (नवीन स्थापन) करता हूँ, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जावे-

खण्ड-स

सत्र न्यायालयों का कार्य विभाजन

क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक कार्य क्षेत्राधिकार
10	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश	3. वर्तमान में रिक्त तथा पूर्व में फास्ट ट्रेक न्यायाधीश के पद पर पदाभिहित/अधिसूचित/नामांकित होकर कार्यरत रहे समस्त न्यायाधीशगण के न्यायालयों के द्वारा निराकृत प्रकरणों को प्रवर्तन एवं अन्य विविध कार्यवाहियां एवं उक्त न्यायालय के निर्णय की अपीलें, रिह्वीजन (मान्नीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय) के आदेशों का प्रवर्तन भी इस न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य सम्पादित किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।



(आर.पी. शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)